

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

क्रमांक:-

दिनांक:- 19-9-25

"ग्रामीण सेवा शिविर"

कैम्प कोर्ट..... वाड

बनाम..... सिकर

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

निर्णय दिनांक:- 19/9/2025

पटवारी हल्का पाल, भू अभिलेख निरीक्षक टाल (15) की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नादौती की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व ग्राम पाल के खाता संख्या 19 में निम्नानुसार शुद्ध किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	शुद्ध प्रविष्टि (हाटेला, पगडी, सिव्यमाल, पि. जे. का, डि. 3/40, मुकुट पुत्र, रामचरण डि. 1/40 गीता, पि. के. 2 (का पुत्र)	शुद्ध उपरान्त प्रविष्टि (हाटेला, पगडी, सिव्यमाल, पि. जे. का, डि. 3/48, मुकुट पुत्र, रामचरण डि. 1/288, गीता, पि. के. 2 (का पुत्र)	वि. विवरण
01.	पाल	19	373			
02.			डि. 21-9			
03.						
04.						

पाल रामचरण, गीता, पि. के. 2 (का पुत्र) डि. 5/360
 गीता, पि. के. 2 (का पुत्र) डि. 5/288
 गीता, पि. के. 2 (का पुत्र) डि. 5/288

उपखण्ड अधिकारी
 नादौती

कैम्प कोर्ट.....

वाड) दिनांक:-

क्रमांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. तहसीलदार नादौती को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
02. पटवारी, पटवार हल्का पाल ।
03. प्रार्थी सिकर ।

सिकर

उपखण्ड अधिकारी
 नादौती

